E-mail
2/6/17
राज्य योजना

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0 सं0–4 / निदे0–एस0सी0ए0–टी–41–1 / 2011(खण्ड)– 13

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक– 02.06.17

विषयः– पश्चिमी चम्पारण जिला में 6 अनुसूचित जनजाति (थारू जनजाति सहित) आवासीय उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति के आधार पर विभागीय पत्रांक–52 दिनांक–06.11.2012 द्वारा ₹1375.00 लाख प्रति विद्यालय की दर से कुल ₹8250.00 लाख (बेरासी करोड़ पचास लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में **वर्ष–2017–18 में 5 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए कुल 1875.00 लाख (अठारह करोड़ पचहत्तर लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति, साथ ही राशि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बिहार सरकार का एक उपक्रम) को उपलब्ध कराने की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

2– कुल भारित व्यय की राशि राज्य योजना मांग संख्या–03 के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–उप शीर्ष–0104–अनुसूचित जनजाति के भवन विपत्र शीर्ष–0104.53 01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03–4059017960104 से विकलनीय होगा।

3– पश्चिमी चम्पारण जिला में 6 अनुसूचित जनजाति (थारू जनजाति सहित) आवासीय उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति के आधार पर ₹1375.00 लाख प्रति विद्यालय की दर से कुल ₹8250.00 लाख (बेरासी करोड़ पचास लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–52 दिनांक–06.11.2012 द्वारा दी गई थी। उक्त स्वीकृति के आलोक में कुल 5 (पांच) स्थलों यथा अनु0 जनजाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, कदमहवा, (बगहा–2), अनु0जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, मधुबनी(रामनगर), अनु0 जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, गिरभिरिया–दुधौरा (मैनाटॉड), अनु0जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, बेलसंडी(गौनाहा) एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय, धमौरा(गौनाहा) के विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की योजना को पूर्ण कराने के लिए वर्ष–2017–18 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध के आलोक में ₹1875.00 लाख (अठारह करोड़ पचहत्तर लाख रू0) मात्र की राशि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बिहार सरकार का एक उपक्रम) को उपलब्ध कराया जाएगा।

4– इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बिहार सरकार का एक उपक्रम) पटना के पी0 एल0 खाता संख्या–237 में बैंक ड्राफ्ट द्वारा एकमुश्त उपलब्ध करायेंगे। इस राशि के लिए व्ययन पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बिहार सरकार का एक उपक्रम) पटना होंगे।

5– भवनों के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करायी गई राशि से प्राप्त होनेवाले सूद की राशि को भी योजना राशि का अंश मानते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बिहार सरकार का एक उपक्रम) पटना द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से सम्बंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/4/98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

9–इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–4/निदे0–एस0सी0ए0–टी–41–1/2011 (खण्ड)–के पृष्ठ– /टि0 पर प्राप्ति के आलोक में दी जा रही है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7.6.17

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4/निदे0–एस0सी0ए0–टी–41–1/2011(खण्ड)– 13 पटना, दिनांक– 02.06.17

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7.6.17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4/निदे0–एस0सी0ए0–टी–41–1/2011(खण्ड)– 13 पटना, दिनांक- 02.06.17

प्रतिलिपि–(1) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बिहार सरकार का एक उपक्रम) पटना/जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण/प्रमंडलीय उपनिदेशक(क0), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण (बेतिया)/जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 चम्पारण (बेतिया)/अवर सचिव , अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ प्रशाखा पदा0 1 एवं 4 (डी0)/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

.6.17

सरकार के सचिव।

Tharuhat sanlekh